(15)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक:- २०१७- निगरानी

द/निगरानी/दतिया/भू.रा./2017/4282

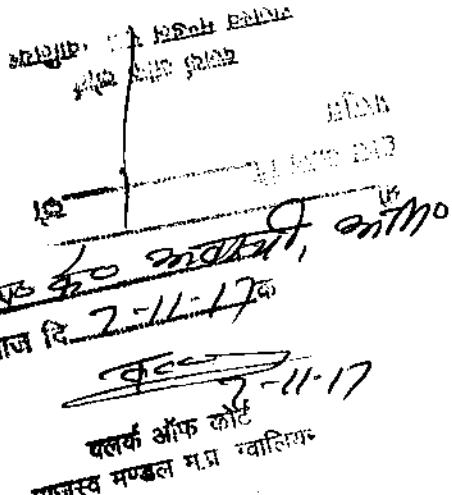

अवधेशशर्मा पुत्र सुदामा प्रसाद शर्मा,
निवासी- ग्राम- अतरेटा, तेहसील-सेवढ़ा,
जिला दतिया-मध्यप्रदेश ।

---- प्रार्थी

विरुध्द

मातापुसाद पुत्र जयराम शर्मा, निवासी ग्राम अतरेटा
तेहसील- सेवढ़ा, जिला दतिया-मध्यप्रदेश ।

---- प्रतिप्रार्थी

श्री 22315 के० अवस्थी, अभि० द्वारा आज दि. 7-11-17 को प्रस्तुत
7-11-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पं०दि० 4-12-17

निगरानी विरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय सेवढ़ा दिनांकी १२-०३-१७ अन्तर्गत धारा ५० सहपठित धारा ८ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० १०।१६-१७ अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञायें कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने विवादित आदेशमें यह मानते हुये भी कि धारा ४८ भू-राजस्व संहिता के आवेदन की ही अपील मैं अनुमति का आवेदन पत्र माने जाने का अनुरोध किया है, तथा यह स्पष्ट अंकन भी प्रार्थना पत्र में किया गया है, फिर भी अपील अनुमति आवेदन पत्र प्रस्तुत न होने के आधार पर अपील को निरस्त किये जाने में तथ्यात्मक एंव वैधानिक भूल की है ।

क्रमश:--२

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–एक/निगरानी/दतिया/भू.रा./2017/4282

अवधेश शर्मा विरूद्ध माताप्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
24–04–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री एस. के. अवस्थी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 की सहपठित धारा 8 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा, जिला–दतिया के प्रकरण क्रमांक 10/2016–17/अपील में पारित आदेश दिनांक 12–09–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश के विरूद्ध निगरानी में अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 8 का उपयोग किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06–06–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 24/4/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	